



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW

दिनांक: 30.06.2025

सेवा में

श्री रमेश करमाली,
छितरपुर प्रखंड अध्यक्ष,
ऑल इण्डिया शेड्युल्ड कास्ट/शेड्युल्ड ट्राईब्स / बैकवर्ड क्लासेस
एम्प्लॉईज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल
गांव व पोस्ट सांडी, थाना रजरप्पा
जिला रामगढ़, झारखंड- 829150
मो : 7858085205

विषय: भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा नहीं देने के संबंध में श्री रमेश करमाली, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया शेड्युल्ड कास्ट/शेड्युल्ड ट्राईब्स / बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉईज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल का दिनांक 14.03.2023 का अभ्यावेदन

महोदय,

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि इस प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा संबंधित प्राधिकारीगण के साथ दिनांक **07 जुलाई 2025 (सोमवार)** को **14.00 बजे** आयोग मुख्यालय में सिटिंग/सुनवाई निश्चित की है। तदनुसार संबंधित प्राधिकारी को अलग से समन/सिटिंग नोटिस भेज दिया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप भी प्रकरण के दस्तावेज सहित उक्त सिटिंग में समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

दूरभाष/Tele: 011-24615012

E-mail : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to: —

nic & uploading